शब्दावली

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)	संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय के विवरणों को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखवाएगा, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" माना जाता है। प्राप्ति तथा संवितरणों को तीन भागों के अंतर्गत दर्शाया जाता है जिनमें सरकारी लेखाओं को रखा जाता है अर्थात् (i) संचित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखा।
बजट सार	यह दस्तावेज संक्षेप में, प्राप्तियों तथा संवितरणों के साथ ही कर राजस्वों और अन्य प्राप्तियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित सरकारों को हस्तांतरित संसाधनों का ब्यौरा भी दर्शाता है। यह दस्तावेज सरकार के घाटे को भी दर्शाता है।
पूंजीगत व्यय	पूंजीगत प्रकृति के व्यय को अधिकांशत ऐसे व्यय दर्शाता है जो या तो वस्तु के मूर्त परिसंपति में वृद्धि करे एवं स्थायी प्रकृति का हो या आवर्ती देयताओं में कमी करे।
पूंजीगत प्राप्ति	पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा लिए गए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार तथा विदेशी सरकारों संस्थाओं/से लिया गया ऋण शामिल है। यह सरकार द्वारा ऋण अग्रिमों की वसूली तथा सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी अंश के विनिवेश से प्राप्ति को शामिल करता है।
भारत की संचित निधि	संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल के द्वारा उठाये गये सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त धन
प्रभावी राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के मध्य का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय (राजस्व लेखे पर) के लिए अनुदान को तथा राजस्व प्राप्ति में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन घटाकर, जिसे राजस्व व्यय के रुप में अभिलेखित किया जाता है, के अंतर के रुप में व्याख्यापित किया जाता है।
बाह्य ऋण	सरकार द्वाराविदेशी सरकारों तथा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से किए गए द्विपक्षीय तथा , बहुपक्षीय ऋण समझौते जो अधिकांशतः विदेशी मुद्रा में होते हैं।
वित्त लेखे	वित्त लेखे प्राप्ति के लेखे तथा संवितरणों के साथ वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करते है जो राजस्व तथा पूंजीगत लेखे, लोक ऋण लेखे तथा लेखों में अभिलेखित शेषों से परिकलित देयताओं तथा परिसंपत्तियों द्वारा प्रकट होते हैं।
वित्त विधेयक	वित्त विधेयक एक धन विधेयक है जो संविधान के अनुच्छेद 110(1) (क) के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रस्तुत होता है, जो अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में प्रस्तावित करों को लगाने, समाप्त करने, छूट, परिवर्तन या विनियमन के विवरण से संबंधित होता है। एक बार वित्त विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा सहमति दे दी जाती है, तो वह वित्त अधिनियम बन जाता है।
राजकोषीय घाटा	एक वित्तीय वर्ष के दौरान, संचित निधि में कुल संवितरणों का कुल प्राप्तियों पर अतिरेक ऋणों का पुनर्भुगतान जिसमें ऋण प्राप्तियों को शामिल नहीं किया जाता।
राजकोषीय नीति	सरकार की राजकोषीय नीति सरकारी राजस्व को बढ़ाने, सरकारी व्यय करने, वित्तीय तथा संसाधन प्रबंधन उत्तरदायित्व कितना अच्छी तरह से संचालित करने को को सुनिश्चिच करने से संबंधित है।

सकल घरेलु उत्पाद (जी डी पी)	सकल घरेलू उत्पाद, निश्चित अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्यतया वार्षिक आधार पर परिकलित मौद्रिक मूल्य है। यह सभी निजी तथा सरकारी उपयोग, सरकारी परिव्यय, निवेश तथा एक परिभाषित क्षेत्र में निर्यात से आयात को घटाकर शामिल करता है। जी डी पी को निर्दिष्ट आधार वर्ष में स्थिर मूल्यों या वर्तमान मूल्य स्तर (जिसमें मूल्य में बदलाव मुद्रास्फिति या मूल्य वृद्धि से होता है) के संदर्भ पर निकाला जाता है।
गारंटियाँ	संविधान के अनुच्छेद 292 संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार करता है कि वह ऐसी सीमाओं, जिसे संसद द्वारा निश्चित किया जा सकेगा, के अंदर भारत की संचित निधि के प्रतिभूति पर गारंटी दे।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत में लिए गए ऋण शामिल होते है। यह भारत की संचित निधि में जुटाए गए और जमा किए गए ऋणों तक ही सीमित है।
ऋण एवं अग्रिम	इसमें संघ सरकार द्वारा राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ,विदेशी सरकारों , सरकारी सेवकों आदि को दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। ,सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों
लोक लेखा	संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत सरकार अथवा उसकी ओर से प्राप्त सभी धन, जिसे संचित निधि में शामिल किया गया है उसको छोड़कर, को लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है। इन धनों के संबंध में सरकार बैंकर की तरह कार्य करती है।
लोक ऋण	सरकार द्वारा आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से लिया गया ऋण जिसे भारत की संचित निधि में ग्रहण किया जाता है को लोक ऋण के रुप में परिभाषित किया जाता है।
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय का आधिक्य।
राजस्व व्यय	अनुरक्षण, मरम्मत, देखभाल तथा संचालन खर्चों पर प्रभाव, जो परिसंपत्तियों को चालू हालात में बनाये रखने के लिए आवश्यक है तथा संगठन को चलाने के लिए दिन प्रति दिन के खर्चे भी स्थापना तथा प्रशासनिक व्ययों को शामिल करते हुए को राजस्व व्यय के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकार तथा अन्य संस्थाओं को दिए गए अनुदान राजस्व व्यय के रुप में माने जाते है, चाहे ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन के लिए हों।
राजस्व प्राप्तियां	इनमें सरकार द्वारा लगाए गए करों एवं चुंगियों, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश, सरकार द्वारा दी गई सेवाओं के लिए शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां शामिल है।
अर्ध-राजकोषीय प्रचालन	ये सामान्य सरकारी इकाइयों के अलावा संस्थागत इकाइयों द्वारा किए गए सरकारी प्रचालन है। इन प्रचालनों का अर्थव्यवस्था पर वैसा ही राजकोषीय नीति प्रभाव पड़ता है जैसा कि सरकारी इकाइयों का होता है।[41]

[41] सरकारी वित्तीय मैन्युल- आई एम एफ (2014) पैरा 2.4